

कार्यालय उप निदेशक(निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

नवीन मण्डी स्थल नौबस्ता हमीरपुर रोड, कानपुर

पत्रांक: नि०ख०का०न०(निविदा) / 2011-230


दिनांक: 23.6.2011

अल्पकालीन निविदा सूचना

अधोलिखित कार्य हेतु दिनांक: 12.07.2011 को मण्डी परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों से 3.00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 3.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं या उनके प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक: 11.07.2011 तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) इस कार्यालय के साथ-साथ स०उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, कानपुर एवं भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। सामान्य जमानत धनराशि जमा का प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ०डी०आर० धरोहर धनराशि के रूप में जो उप निदेशक(निर्माण) मण्डी परिषद, कानपुर नगर के पद नाम से बन्धक हो, जमा करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।

(1) मण्डी समिति कानपुर के उपमण्डी स्थल सरसौल में 10 नग 'स' श्रेणी की दुकानों, 01 नग 9×40 मी० छायादार नीलामी चबूतरे, 01 नग आर०सी०सी० क्लबट, पहुँच मार्ग, आन्तरिक सड़क का निर्माण, 02 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की आपूर्ति/स्थापना एवं पी०सी०एफ० गोदाम को तोड़ने का कार्य अनुमानित लागत रू०-40.90 लाख (2) मण्डी समिति बरीपाल के उपमण्डी स्थल आमौर में 10 नग 'स' श्रेणी की दुकानों, 01 नग 9×40 मी० छायादार नीलामी चबूतरे, खण्डजा का निर्माण एवं 02 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की आपूर्ति/स्थापना का कार्य अनुमानित लागत रू०-38.00 लाख। निविदा मूल्य (वाणिज्य कर सहित):— क०सं०-1 व 2 रू०-1125.00 प्रति निविदा वांछित श्रेणी:— क०सं०-1 व 2 'स' श्रेणी जमानत धनराशि:— क०सं०-1 व 2 कार्य लागत का 10% कार्य पूर्ण करने की अवधि:— क०सं०-1 व 2 हेतु चार माह।

आवश्यक शर्तें:— ठेकेदारों को अनुबन्ध गठित कराने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

  
23/6/11  
उप निदेशक(निर्माण)

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा शर्तें एवं अन्य विवरण सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में प्राप्त की जा सकती हैं।
2. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा रु. 100/- डाक व्यय अतिरिक्त देने पर पंजीकृत डाक से भेजे जा सकते हैं। परन्तु उनकी प्राप्ति का उत्तरदायित्व परिषद पर न होगा।
3. निविदा प्रपत्र निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक निर्धारित स्थानों पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में बेची जायेगी।
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जनरल सिक्योरिटी जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती हैं।
6. प्रत्येक निविदा के साथ पृथक-पृथक एफ0 डी0 आर0 जमा करनी होगी।
7. उपरोक्त कार्यों हेतु पृथक-पृथक निविदायें निर्धारित स्थानों में बेची जायेगी।
8. निविदा मण्डी परिषद के पंजीकृत ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेगी।
9. सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा के साथ रु. 100/- का स्टाम्प पेपर एवं रु. 1/- का रेवन्यू स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा।
11. वाणिज्य कर एवं आयकर के विभाग के अध्यादेश के अनुसार वाणिज्य कर/आयकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जायेगी।
12. कार्य की निविदाए प्रतिशतके रूप में मांगी गयी हैं। अलग-2 आइटमों की दरे होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. अनुबन्ध करते समय लो0 नि0 वि0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देय होंगे।
14. निविदा प्रपत्र पंजीकृत ठेकेदारो को निविदा का निर्धारित मूल्य तथा वांछित निविदा की धरोहर धनराशि की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0/सी0 डी0 आर0 के रूप में जमा करने पर ही विक्रय की जायेगी।
15. शील्ड लिफाफे में प्राप्त निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
16. निविदा की दर में दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने ( 0 से 1 प्रतिशत के मध्य दर होने पर) एवं दरें शब्दों में भरी न होने पर निविदा को अवैध मानते हुये उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. शेड कार्य की निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जो स्वयं शेड एवं टूल्स अपनी फैक्ट्री में बनाते हो और जिनका पंजीकरण यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 एवं निदेशक

उद्योग कार्यालय में ट्यूबलर टूलस शेड कार्य हेतु होगा।

18. टेण्डर में किसी भी प्रकार के निगोशियेशन नहीं किये जायेंगे और टेण्डर खुलने के पश्चात् प्राप्त दरें ही अन्तिम होंगी। उन्हीं के आधार पर निर्णय किये जायेंगे।
19. निविदा क्रय करते समय निविदादाता द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मण्डी परिषद में कराये जा रहे कार्यों का अनुबन्धवार विवरण अंकित करना होगा। आवंटित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत निविदा क्रय करने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। जिसके लिये नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी हस्तान्तरण प्राप्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।
21. मण्डी निदेशक के आदेश संख्या : 1235 दिनांक 15-07-2003 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर रायल्टी की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
22. निविदा क्षेत्रीय कार्यालय उप निदेशक, निर्माण, मण्डी परिषद कानपुर नगर, सं० उप निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद कानपुर एवं भारतीय स्टेट बैंक नौबस्ता कानपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

उप निदेशक, निर्माण

कार्यालय उप निदेशक, निर्माण

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र०

नवीन मण्डी स्थल नौबस्ता, हमीरपुर रोड, कानपुर

पत्रांक : नि०ख०का०न० (निविदा)/2011-230

दिनांक : 23.6.2011

तिलिपि : अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियंता, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- सं० उप निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर।
- सं० लेखाधिकारी, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर।
- समस्त उप निदेशक, निर्माण, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०.....
- जिलाधिकारी **कानपुर नगर**।
- सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, **कानपुर, बरीपास**।
- सहायक अभियंता/अवर अभियंता, मण्डी परिषद, कानपुर नगर।
- सहायक लेखाधिकारी/ संगणक, मण्डी परिषद, कानपुर नगर।
- सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद मुख्यालय लखनऊ को वेबसाइट हेतु।
- सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार।

उप निदेशक, निर्माण